

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22052026-272735
SG-DL-E-22052026-272735असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131]	दिल्ली, बुधवार, मई 13, 2026/वैशाख 23, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 45
No. 131]	DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 2026/VAISAKHA 23, 1948	[N. C. T. D. No. 45

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 मई, 2026

फा. सं. बी/14/2026-गृ0-II/978-986- गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 1 सितम्बर, 2025 अधिसूचना संख्या एसओ 3989 (ड) के साथ पठित तथा आप्रवास और विदेशियों विषयक नियम, 2025 (2025 का 13) की धारा 2 के खंड (ग) के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा के पुलिस उपायुक्त को, उक्त अधिनियम, आप्रवास और विदेशियों विषयक नियम, 2025 तथा आप्रवास और विदेशियों विषयक आदेश, 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में सिविल प्राधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु नियुक्त करते हैं।

यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रमेश कुमार, उप-सचिव (गृह-II)

HOME DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 12th May, 2026

F. No. B/14/2026-Home-II/978-986.— In pursuance of the provisions of clause (c) of section 2 of the Immigration and Foreigners Act, 2025 (13 of 2025) and read with notifications of the Government of India, Ministry of Home Affairs, S/O/ 3989 (E), dated the 1st September, 2025, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the Deputy Commissioner of Police, Special Branch, Delhi Police, to perform the functions of the civil authority under the said Act, the Immigration and Foreigners Rules, 2025 and Immigration and Foreigners Orders, 2025 within the jurisdiction of the National Capital Territory of Delhi.

This notification shall come into force with effect from the date of its publication in Official Gazette.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
RAMESH KUMAR, Dy. Secy. (Home-II)